

**अनुदान संख्या 39 - पेंशन**  
**GRANT No. 39 - PENSIONS**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित -	Charged-	69,71,00	64,57,30	-5,13,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत -	Voted-	15930,29,00	15879,25,65	-51,03,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूल की गई पेंशनों सहित पेंशनों और उपदानों, पेंशनों के संराशीकृत मूल्य, भविष्य निधियों को अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम-सरकारी भविष्य निधि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम, निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम के संवितरण और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनभोगियों के चिकित्सा उपचार के लिए था।

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions and Gratuities including Pensions Charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme-Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme, Defined Contribution Pension Scheme.

2. अनुदान के प्रभारित अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ :-

2. In the *charged* portion of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"			
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and other Retirement Benefits			
मू.	O	6962.00	6956.00	6449.02
पु.	R	-6.00		-506.98

(I) ₹2.00 लाख का विनियोग एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) “सिविल” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन” - ₹554.95 लाख की बचत (₹1450.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(खा) “पेंशन का संराशीकृत मूल्य - सामान्य पेंशन” - ₹209.37 लाख की बचत (₹1185.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई ;

(गा) “उपदान - सामान्य पेंशन” - ₹293.39 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;

(घा) “परिवार पेंशन - परिवार पेंशन” - ₹366.21 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(ङ) “भारत के राष्ट्रपति की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ - राष्ट्रपति (परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम के अंतर्गत अन्य हकदारियों” - ₹189.98 लाख की बचत (₹235.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम नामावलियों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुईं ।

3.(I) उपर्युक्त बचतें “सिविल - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में राज्य सरकार(रों) से वसूली योग्य पेंशन संबंधी प्रभार” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई- ₹1016.55 लाख का अधिक व्यय (₹950.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) अधिक दावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹94.78 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत विनियोग का 158 प्रतिशत था।

4. अनुदान के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

(I) Appropriation of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under “Civil” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions” - saving of ₹554.95 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹1450.00 lakhs);

(B) “Commuted Value of Pensions – Ordinary Pensions” – saving of ₹209.37 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹1185.00 lakhs);

(C) “Gratuities - Ordinary Pensions” - saving of ₹293.39 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹1500.00 lakhs);

(D) “Family Pensions – Family Pensions” – saving of ₹366.21 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹800.00 lakhs); and

(E) “Pensions and other retirement benefits of President of India – Other entitlements under the President’s (Emoluments and Pension) Act” – saving of ₹189.98 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹235.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to receipt of less scrolls/claims.

3.(I) The above savings were partly offset by excess under “Civil - Pensionary Charges in respect of High Court Judges - Pensionary Charges in respect of High Court Judges recoverable from State Government(s)” – excess of ₹1016.55 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹950.00 lakhs) was due to receipt of more claims.

(II) Under one head excess of ₹94.78 lakhs occurred constituting 158 percent of the sanctioned appropriation.

4. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

अधिक व्यय +  
Excess +  
बचत-  
Saving -

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"				
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Pensions and other Retirement Benefits				
मू.	O	1589217.00	1589017.00	1583609.35	-5407.65
पु.	R	-200.00			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	3812.00	4012.00	4316.30	+304.30
पु.	R.	200.00			

(I) ₹370.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹300.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल - उपदान - नई निश्चित अंशदायी पेंशन पद्धति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/अशक्तता होने पर अतिरिक्त राहत - सामान्य पेंशन" के अंतर्गत दावे प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹370.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these ₹300.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2071" - "Civil - Gratuities - Additional Relief on death/disability of Government Servants Covered by the New Defined Contribution Pension System (NPS) Ordinary Pensions" - due to non-receipt of claims.

(II) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(II) Under Major Head "2071" - "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन (एआईएस)" - ₹2400.48 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions (AIS)" - saving of ₹2400.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs);

(खा) "पेंशन का संराशीकृत मूल्य" -

(B) "Committed Value of Pensions" -

(क) "सामान्य पेंशन" - ₹13188.40 लाख की बचत (₹182000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Ordinary Pensions" - saving of ₹13188.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹182000.00 lakhs);

(ख) "सामान्य पेंशन (एआईएस)" - ₹782.39 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Ordinary Pensions (AIS)" - saving of ₹782.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs);

(गा) “उपदान - सामान्य पेंशन” (एआईएस)” - ₹503.23 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) “परिवार पेंशन - परिवार पेंशन” - ₹8464.51 लाख की बचत (₹193000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) “भविष्य निधियों को अंशदान - सामान्य पेंशन” - ₹743.01 लाख की बचत (₹1995.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(चा) “छुट्टी नकदीकरण” -

(क) “सामान्य पेंशन” - ₹1462.72 लाख की बचत (₹110000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) “सामान्य पेंशन (एआईएस)” - ₹389.73 लाख की बचत (₹499.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम नामावलियों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹164.84 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 27 और 55 प्रतिशत थीं।

5.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष “2071” - “सिविल” -

(क) “अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन” - ₹4114.55 लाख का अधिक व्यय (₹829322.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ;

(ख) “उपदान - सामान्य पेंशन” - ₹874.16 लाख का अधिक व्यय ₹200000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(C) “Gratuities – Ordinary Pensions (AIS)” – saving of ₹503.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs);

(D) “Family Pensions - Family Pensions” - saving of ₹8464.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹193000.00 lakhs);

(E) “Contributions to Provident Funds - Ordinary Pensions” - saving of ₹743.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1995.00 lakhs);

(F) “Leave Encashment” –

(a) “Ordinary Pensions” - saving of ₹1462.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹110000.00 lakhs); and

(b) “Ordinary Pensions (AIS)” – saving of ₹389.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹499.00 lakhs).

Savings under the above eight heads were due to receipt of less scrolls/claims.

(III) Under two heads savings of ₹164.84 lakhs occurred each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs constituting 27 percent and 55 percent of the sanctioned provision.

5.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2071”- “Civil”-

(a) “Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions” – excess of ₹4114.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹829322.00 lakhs);

(b) “Gratuities – Ordinary Pensions” - excess of ₹874.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200000.00 lakhs);

- (ग) “विधायकों को पेंशन - संसद सदस्य” - ₹3241.46 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (घ) “केन्द्रीय सरकार के अधिशेष घोषित किए गए कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के संबंध में अनुग्रहपूर्वक अदायगियां - सामान्य पेंशन” - ₹2372.70 लाख का अधिक व्यय (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ङ) “निश्चित अंशदान पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान - सरकारी अंशदान” - ₹7551.36 लाख का अधिक व्यय (₹58000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (च) “अन्य पेंशन - एसपीएमसीआईएल पेंशन निधि को देय सरकारी अंशदान” - ₹4618.14 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (खा) “मुख्य शीर्ष “2235” - “अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम - सरकारी भविष्य निधि - निक्षेप सहबद्ध बीमा - संशोधित सामान्य भविष्य निधि की स्कीम” - ₹527.33 लाख का अधिक व्यय (₹3600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।
- (c) “Pensions to Legislators – Members of Parliament” - excess of ₹3241.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs);
- (d) “Ex-gratia Payments arising out of Special VRS to Central Government Employees declared as Surplus – Ordinary Pensions” - excess of ₹2372.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs);
- (e) “Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme – Government Contribution” - excess of ₹7551.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹58000.00 lakhs);
- (f) “Other Pensions – Govt. Contribution Payable to SPMCIL Pension Fund” - excess of ₹4618.14 lakhs (against nil provision); and
- (B) Major Head “2235” – “Other Social Security and Welfare Programmes – Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds - Deposit Linked Insurance - Revised Scheme of General Provident Funds” - excess of ₹527.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3600.00 lakhs).

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक नामावलियों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹92.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 9200 प्रतिशत था।

Excess under the above seven heads was due to receipt of more scrolls/claims.

(II) Under one head excess of ₹92.00 lakhs occurred constituting 9200 percent of the sanctioned provision.